तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22/7/2019	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली मे प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी लम्बे समय से जबाव मे चल रहा है एवम काफी अवसर के बावजूद भी वकील वादी की ओर से जबाव प्रस्तुत नही किया एवम जबाव नही देकर प्रार्थना पत्र पर बहस करने का निवेदन किया गया अतः प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारों के वकीलो की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र की बहस मे प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादीगण द्वारा यह वाद जिस लिखत दिनांक 04.12.2001 को पारिवारिक समझौता बताया गया उसके आधार पर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी घोषणा नही होकर इकरार नामा है जो इस लिखित इकरार नामा से स्पष्ट है एवम वादी स्वय अपने वाद पत्र मे उक्त लिखत को इकरारनामा मान रहा है एवम वाद पत्र मे कथन किया कि वादी इकरार अनुसार तत्पर रहा है व प्रतिवादीगण पालना नही कर रहे है एवम वादी के वाद पत्र के अभिवचन से उक्त लिखित एक इकरारनामा होना साबित होता है। एवम उक्त इकरारनामा अनरजिस्टर्ड एव अनस्टाम्पड है वादी को उक्त लिखित इकरारनामा की पालना हेतु स्पेसिफिक परफोरमेन्टस हेतु सक्षम सिविल न्यायालय मे वाद करना चाहिए था एवम इकरारनामा के आधार पर धारा 88 की तहत खातेदारी की घोषणा कानूनन नही की जा सकती है एवम ऐसे अनरजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार पर खातेदारी घोषणा के वाद की क्षेत्राधिकारिता राजस्व न्यायालय को नही है।एवम वादी के वाद पत्र में किये अभिवचन एवम कथनो से भी यह स्पष्ट साबित होता है कि इकरार के आधार पर खातेदारी का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होकर विधि द्वारा वर्जित होने से वादी का वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही आदेश 7 नियम 11 की तहत नांमजूर किया जाकर निरस्त किया जाने योग्य है एवम वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवम कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2009 (1) आरआरटी –638 प्रस्तुत किया। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु वाद लाया गया है जो सिविल कोर्ट से वर्जित है एवम आदेश 7 नियम 11 के तहत बिन्दु 1 जहा वाद हेतुक प्रकट नही होता है, 2 जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्याकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर इस समय के भीतर जो न्यायालय से नियत किया है ऐसा करने मे सफल रहता है, 3 जहा वाद पत्र अनुतोष का मूल्याकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है ओर वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय के नियत किया है,ऐसा करने मे असफल रहता है। एवम यह भी तर्क दिया कि इस स्तर पर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होकर काबिल खारिज योग्य है।	

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

वकुलाय उभय पक्षकारो की बहस पर मनन किया गया एवम वादी द्वारा जिस लिखित के आधार पर वाद लाया गया उसकी पत्रावली पर उपलब्ध प्रति का अवलोकन किया जिसमें वर्णित अनुसार वादी मोहनलाल पर रूपयो की अदायगी का दायित्व होना जाहिर होता है एवम रूपयों की अदायगी करने पर उसी समय जमीन के नामान्तर कराने एवम उसका अन्तिम समय तीन महिने होगा आदि कथन एवम शर्ते अंकित है एवम वाद पत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवम अवलोकन किया गया, जिसमे वादी स्वयं के द्वारा वाद पत्र के पैरा 3 मे यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वादी इकरार अनुसार तत्पर रहा है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 इस प्रकार पारिवारिक समझौते की अवहेलना कर आराजियात को अन्तरित करने को प्रयासरत है एवम पैरा–5 मे भी कथन किया है कि वादी इकरार की पालना में तत्पर रहने से इस प्रकार वादी स्वय के द्वारा उक्त लिखित अपने वाद पत्र में इकरार माना गया है, जो वादी का स्वीकृत तथ्य है एवम लिखित की अनुसार भी इकरार होना प्रतीत होता है। इस प्रकार वादी के वाद पत्र के अभिवचनो कथनो से वादी द्वारा यह वाद खातेदारी घोषणा का कथित अनरजिस्टर्ड एवम अनस्टाम्पड इकरार नामा के आधार पर लाया जाना साबित होता है। किसी भी इकरार नामा के आधार पर राजस्व न्यायालय को खातेदारी की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार नही है इकरार नामा के आधार पर अपना हक साबित करने के लिए क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट है जिससे वादी को इस अन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर स्पेसीफिक परफोरमेंस का दावा सिविल न्यायालय मे करना चाहिए। वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2009(1) आरआरटी–638 का अध्ययन किया।

उपरोक्त वाद पत्र के अभिवचन एवम कथनो से इस राजस्व वाद का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होने से विधि द्वारा वर्जित है एवम क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर वाद विधि द्वारा वर्जित होने से प्रारम्भिक स्तर पर ही आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा सरे इज्लास मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी
देसूरी (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी